UPRN120007752020

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)भोगनीपुर/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात

प्रकीर्ण वाद सं०–56/11/2020

सुनीता देवी **बनाम** **विजय बहादुर आदि।**

मु०अ०सं०–78/2019
धारा –452, 323, 506 भा.दं.सं.
थाना बरौर, कानपुर देहात।

दिनांक 09.01.2023

प्रार्थिनी/वादिनी सुनीता देवी की ओर से अ०सं–78/2019, अन्तर्गत धारा – 452, 323, 506 भा.दं.सं. थाना बरौर जिला कानुपर देहात में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या को निरस्त कराने हेतु यह प्रोटेस्ट पिटीशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थिनी द्वारा यह कथन किया गया है कि उपरोक्त मामले में पुलिस आख्या के अनुसार जांच अधिकारी ने अभियुक्त पुलिस विभाग में भर्ती होने के कारण उससे मिलकर उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित अपराध कि उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमों को छिपाते हुए पुलिस ने आख्या पी०वी०आर० गलत देकर उसकी सर्विस लगने में मदद की है, के बावत उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमें व आरोप पत्र प्रेषित को मानते हुए उसके सदोष लाभ देते हुए अंतिम आख्या प्रस्तुत की है। जो 218, 219 भा०दं०सं० के तहत अपराध है। अपराध दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित है। पुलिस द्वारा उक्त मामले में अंतिम आख्या निरस्त कर अभियुक्तगण को न्यायालय में तलब किये जाने का आदेश पारित करने की याचना की गयी।

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। केस डायरी तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य सभी प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

प्रार्थिनी/वादिनी सुनीता देवी के द्वारा अपनी आपत्ति में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि जांच अधिकारी ने अभियुक्त से मिलकर उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित अपराध को छिपाते हुए उपरोक्त अपराध में F.R प्रेषित कर दी। अतः प्रार्थिनी/वादिनी सुनीता देवी को पुलिस कार्यवाही पर विश्वास नहीं है। मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो के दृष्टिगत उक्त मामले में विवेचनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या को निरस्त कर प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

विवचेनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट आख्या सं०– 13/19 दिनांकित 18/12/2019 निरस्त की जाती है। मामले को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाये।

पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 13.02.2023 को पेश हो।

राशि तोमर
सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोगनीपुर कानपुर देहात
ID NO.UP2540